मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:खजूरी कलाँ			पटवारी हल्का:खजुरी कला			तहसील:हुजूर			जिला:भोपाल		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1205740956 816T0DDAFM09H0	205/2 (S)		0.1650 हेक्टेयर आवासीय रु.3300.00	आर के एन बिल्डकॉन इंडिया प्रा लि द्वारा डॉयरेक्टर श्री राम कुमार नारवानी आ स्व श्री के एल नारवानी पता ए 98 जानकी नगर चुनाभट्टी कोलार रोड भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था	1						प्रकरण क्र.0326/अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 24/09/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.205/ख से 205/2 में परिवर्तित । खसरा नंबर 205/2 का छेत्रफल 1650 (वर्ग मी.) में से 1650 (वर्ग मी.) व्यपवर्तित किया गया । न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 2059/अ-6/2021-22, आदेश दि. 06/04/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । ना.प.क्रं. 137 आ.दि. 30.11.2011 के अनुसार न्यायालय अनु.वि.अधि. एम.पी.नगर वृत्त भोपाल के रा.प्र.क्रं. 30/अ-2/12-13 आ.दि. 3.5..2013 के अनुसार व्यपवर्तन किया गया

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।